आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 263/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एचएसबीसी बैंक के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. चौधरी आयरन एण्ड स्टील जरिये श्री कैलाश चन्द चौधरी,
   पताः– प्लॉट नं. 551 व 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री कैलाश चंद,
   पताः– प्लॉट नं. 551 व 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
   एवं 2, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. श्री कैलाश चंद पुत्र श्री मूंगाराम,
   पताः– प्लॉट नं. 551 व 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
   एवं वार्ड नं. 2, भाटावाला, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
   एवं मार्फत चौधरी आयरन स्टील, प्लॉट नं. 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
4. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री मूंगाराम,
   पताः– भाटावाला, वाटिका, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 551 व 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
5. श्री सीताराम **चौधरी** पुत्र श्री मूंगाराम,
   पताः– प्लॉट नं. 551 व 552, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर।
   एवं वार्ड नं. 2, भाटावाला, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री के. के. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री रामस्वरूप एवं श्री कैलाश चंद के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 551, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा, भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर** को बन्धक रख कर दिनांक **27.07.2020** को राशि **11,07,123/–** रूपये, दिनांक **05.09.2019** को राशि **56,00,000/–** रूपये, कुल राशि **67,07,123/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **28.09.2022** को

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **67,07,123/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **63,54,029/–** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **28.09.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी **श्री रामस्वरूप एवं श्री कैलाश चंद के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 551, डेयरी फार्म, ग्राम सूरजपुरा,** भाटावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर, **क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **20.03.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर